

प्रेषक,

**श्री हरमिन्दर राज सिंह**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. आवास आयुक्त**

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,  
लखनऊ।

**2. उपाध्यक्ष**

समस्त विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—1

लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2008

विषय : उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास की (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) नीति में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन वं विकास की (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) नीति के निर्धारण एवं उसमें स्पष्टीकरण/संशोधन के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निम्न शासनादेश जारी किए गए हैं :—

- (I) शासनादेश संख्या 2711 / आठ–1–05–34 विविध / 03, दिनांक 21 मई, 2005
- (II) शासनादेश संख्या 5873 / आठ–1–05–34 विविध / 03 टीसी–1 दिनांक 29.12.2005
- (III) कार्यालय ज्ञाप संख्या 5873 / आठ–1–05–34 विविध / 03 टीसी–1 दिनांक 12.1.2006
- (IV) कार्यालय ज्ञाप संख्या 6168 / आठ–1–05–57 विविध / 06, दिनांक 22 अगस्त, 2006
- (V) शासनादेश संख्या 2236 / आठ–1–06–45 विविध / 06, दिनांक 28 अप्रैल, 2006
- (VI) शासनादेश संख्या 6710 / आठ–1–06–77 विविध / 06, दिनांक 10 अक्टूबर, 2006

2. इस सम्बन्ध में प्रश्नगत नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपराप्त उपरोक्त शासनादेशों में प्राविधान कतिपय व्यवस्थाओं को जनहित में निम्नानसार संशोधित किया जाता है :—

- (1) प्रदेश में किस नगर/क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के कितने लाईसेंस अनुमन्य होंगे एवं उनके अधिकतम क्षेत्रफल का निर्धारण शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया (Competitive Bidding Process) के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर विकासकर्ता का चयन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में संबंधित प्रपत्रों में यथावश्यक संशोधन यथासमय अलग से निर्गत किया जायेगा।

जो विकासकर्ता दिनांक 12.08.208 तक पंजीकृत है तथा उनमें से कितने विकासकर्ताओं द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं, के सम्बन्ध में आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा पूर्ण विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि शासन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

- (2) शासकीय अभिकरणों द्वारा विकासकर्ताओं के लिए भूमि क्षेत्र की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी :—
- (I) विकासकर्ता द्वारा भू—स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर 75 प्रतिशत भूमि स्वयं क्षेत्र की जाएगी तथा अवशेष 25 प्रतिशत भूमि के क्षेत्र में शासकीय अभिकरणों द्वारा “फैसिलिटेटर” की भूमिका निभाई जाएगी।
- (II) भू—अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को विकासकर्ता द्वारा राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।
- (III) लाइसेंसधारक विकासकर्ताओं द्वारा अपनी योजना हेतु चिह्नित क्षेत्र का इन्टीग्रेटेड विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अपनी योजनाओं के लिए भूमि अर्जन का प्रस्ताव नहीं लायेंगे। इसी प्रकार किसी विकासकर्ता द्वारा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की योजना के लिए अधिसूचित भूमि के अन्तर्गत लाईसेन्स के लिए प्रस्तुत आवेदन (‘फाइनेन्शियल बिडिंग’ के माध्यम से ‘ब्ल्क सेल’ में आवंटित भूमि को छोड़कर) स्वीकार्य नहीं होगा, ताकि उक्त अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की निरन्तरता प्रभावित न हो।
- (3) चयनित विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम को गत 03 वर्षों के वार्षिक टर्न—ओवर के आधार पर प्रत्येक रूपये 5 करोड़ टर्न—ओवर के सापेक्ष 50 एकड़ भूमि क्षेत्र एवं विकास करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ ही दी जाएगी कि किसी एक लाईसेन्स के अधीन श्रेणी ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ में चयनित विकासकर्ताओं के लिए भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 500, एकड़ 100 एकड़ तथा 50 एकड़ से अधिक नहीं होगा।
- (4) चयनित विकासकर्ताओं को 200 एकड़ से कम क्षेत्रफल के लिए लाइसेंस केवल महायोजना में प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र के बाहर भी लाईसेन्स देने हेतु विचार किया जाएगा। महायोजना क्षेत्र के बाहर अथवा महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जहां आवश्यक हो, अधिनियम के प्राविधानों के अधीन आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जाएगी, जिस हेतु विकासकर्ता द्वारा शासनादेश संख्या—3712/9—आ—3—2000—26 ए.ल.यू.सी./91, दिनांक 21.08.2001 में निहित व्यवस्थानुसार परिवर्तन शुल्क देय होगा।
- (5) उ.प्र. जमीदारी विनाश एवं भूमि अधिनियम, 1950 की धारा—154(2) के अधीन 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के संकरण हेतु शासनादेश संख्या 2819/8—3—208—59विविध/08, दिनांक 09.5.2008 द्वारा जारी संशोधित/नवीन प्रपत्र पर विकासकर्ता से नियमानुसार समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाने पर उच्च स्तरीय समिति के स्तर से छूट देय होगी, परन्तु उच्च स्तरीय समिति द्वारा चयनित विकासकर्ता को लाइसेंस

- जारी करने पर तभी विचार किया जाएगा, जब उसके द्वारा न्यूनतम 25 प्रतिशत भूमि क्य कर लाइसेंस हेतु निर्धारण प्रपत्र पर आवेद-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाए।
- (6) नीति के अधीन प्रस्तावित आवासीय योजना/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु लैण्ड यूज, डन्सिटी व एफ.ए.आर. के मानक सामान्य से उच्चतर निर्धारित होंगे जिसके आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- परियोजनाओं की लागत का प्रमाणीकरण किसी मान्यता प्राप्त वाह्य संस्था अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट जिसे न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो, से कराना होगा।
- (7) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में निहित कठिनाइयों के निराकरण हेतु विकासकर्ता द्वारा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर 75 प्रतिशत भूमि सीधे क्य की जाएगी तथा अवशेष 25 प्रतिशत भूमि के क्य में शासकीय द्वारा 'फैसीलिटेटर' की भूमिका निभाई जाएगी।
- (8) हाई-टेक-टाउनशिप हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के स्वामित्व की भूमि का विकासकर्ता कम्पनी के पक्ष में क्य/पुनर्ग्रहण/अर्जन की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध करने हेतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से अपना प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकत 60 दिनों के अन्दर पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
- (9) उत्तर प्रदेश जर्मींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा-154(2) की अधीन छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम द्वारा सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर सूचनाएं विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा उक्त छूट प्रदान की जाएगी। उपरोक्त कार्यवाही विकासकर्ता कम्पनी द्वारा विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 60 दिन में पूर्ण कर ली जाएगी।
- (10) हाई-टेक-टाउनशिप हेतु चयनित स्थल कृषि क्षेत्र में स्थित होने की दशा में उसका भू-उपयोग सम्बन्धित विकास क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र की महायोजना में हाई-टेक-टाउनशिप के प्रयोजनार्थ परिवर्तित किया जाएगा, जिस हेतु विकासकर्ता कम्पनी द्वारा आवासीय भू-उपयोग की दर से परिवर्तन शुल्क देय होगा। भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना शासनादेश संख्या : 3712/9-आ-3-2000-26एल.यू.सी. /91, दिनांक 21.8.2001 में निहित व्यवस्थानुसार की जाएगी। टाउनशिप के ले-आउट प्लान के अन्तर्गत विभिन्न भू-उपयोगों का प्रतिशत इस नीति के अधीन बनाए गए एम.ओ.यू. में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- (11) हाई-टेक-टाउनशिप को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने, फाइनेंशियल वॉयबिलिटी बढ़ाने एवं भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लैण्ड-यूज प्लॉनिंग तथा डन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के मानक सामान्य से उच्चतर निर्धारित होंगे जिसके आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

- (12) हाई-टेक-टाउनशिप के लिए चूंकि डेन्सिटी एवं एफ.ए.आर. के मानक सामान्य से उच्चतर अनुमन्य होगें, अतः नगरीय विकास शुल्क की दर नगर निगम वाले नगरों में रु. 3.0 लाख प्रति एकड़ होगी। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा 'डिटेल्ड ले-आउट प्लान' की स्वकृति के समय नगरीय विकास शुल्क की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत भुगतान एकमुश्त (डाउनपेमेन्ट) किया जाएगा तथा अवशेष 06 छमाही किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर सहित लिया जा सकेगा। किश्तों के भुगतान में विलम्ब होने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज देय होगा।
- (13) 'कन्सेप्चुअल डी.पी.आर.' के अनुमोदन के समय यदि विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम के स्वामित्व में प्रथम चरण के 'डिटेल्ड ले-आउट प्लान' के अनुमोदन हेतु न्यूनतम 300 एकड़ भूमि 'काम्पैक्ट' रूप में उपलब्ध है तथा भूमि का भू-उपयोग महायोजना के अनुसार आवासीय है अथवा आवासीय में परिवर्तित किया जा चुका है, तो 'कन्सेप्चुअल डी.पी.आर. के साथ-साथ डिटेल्ड ले-आउट प्लान भी स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (14) हाई-टेक-टाउनशिप नीति-2007 में प्राविधान व्यवस्थानुसार यदि किसी विकासकर्ता कम्पनी का टाउनशिप में विस्तार हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, तो उसे सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के साथ पुनरीक्षित एम.ओ.यू. निष्पादित करना होगा तथा विस्तार के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल सहित सम्पूर्ण योजना के लिए पुनरीक्षित डी.पी.आर. भी प्रस्तुत करनी होगी। अतः टाउनशिप के क्षेत्रफल में विस्तार से सम्बन्धित प्रकरणों में विकास कार्य पूर्ण करने हेतु परियोजनावधि की गणना पुनरीक्षित डी.पी.आर. के अधीन स्वीकृत होने वाले 'प्रथम डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' के हस्ताक्षरित होने की तिथि से की जाएगी, परन्तु विस्तारित अवधि सहित कुल परियोजना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (15) टाउनशिप के विकास कार्यों की निरन्तरता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रथम चरण के ले-आउट प्लान के अनुमोदन हेतु चूंकि न्यूनतम 300 एकड़ क्षेत्रफल रखा गया है, अतः प्रत्येक अनुवर्ती चरण के लिए भी न्यूनतम 300 एकड़ क्षेत्रफल इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाएगा कि समस्त चरणों के विकास कार्य निर्धारित परियोजना अवधि में ही पूर्ण किए जाने होंगे।
- (16) जिन प्रकरणों में हाई-टेक-टाउनशिप का 'कम्पूस्युअल डी.पी.आर.' अनुमोदित हो चुकी है, परन्तु महायोजना लागू न होने अथवा भू-उपयोग निर्धारित न होने के कारण ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, वहां विकासकर्ता कम्पनी और प्राधिकरण के मध्य इस प्रतिबन्ध के साथ 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' निष्पादित किया जाएगा कि यह 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' तभी प्रभावी होगा, जब विकासकर्ता कम्पनी का ले-आउट प्लान स्वीकृत हो जाए। 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1बी के अनुच्छेद 5(सी) के अनुसार रु. 100/- मात्र का स्टाम्प शुल्क प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त हाई-टेक टाउनशिप नीति-2007 के अधीन निर्धारित 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' प्रपत्र के प्रस्तर-9 में यह स्पष्ट किया जाएगा कि "परफॉर्मेन्स गारन्टी" के रूप में 25 प्रतिशत विक्रय-योग्य भूमि शासकीय अभिकरण के पक्ष में बन्धक रखने की कार्यवाही प्रचलित नियमों/अधिनियमों में प्राविधान व्यवस्थानुसार

सुनिश्चित की जाएगी। बन्धक विलेख 'रजिस्टर्ड' होगा तथा बन्धक-पत्र के निष्पादन के समय नियमानुसार बन्धक-पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

- (17) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा हाई-टेक टाउनशिप परियोजना की कुल विक्रय-योग्य भूमि का परफार्मेंस गारन्टी के रूप में आरक्षित 25 प्रतिशत क्षेत्र जो सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के पक्ष में बन्धक रखा जाएगा, में से 20 प्रतिशत भूमि को तभी अवमुक्त किया जाएगा, जब परियोजना के सभी विकास कार्य एवं शर्त पूर्ण हो गयी हो, विशेषकर विकासकर्ता कम्पनी द्वारा भूगर्भ जल संरक्षण (वाटर रिचार्ज) व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित कर दी गयी हो कि दोहन किए गए जल के सापेक्ष 120 प्रतिशत की रिचार्जिंग के माध्यम से आपूर्ति हो गई हो। इसके अतिरिक्त बन्धक रखी गयी भूमि से शेष 5 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि को शासन की अपेक्षानुसार रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परफार्मेंस गारण्टी के रूप में रोक कर रखा जाए।
- (18) विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम द्वारा आवंटियों को विकसित सम्पत्तियों का कब्जा दिये जाने से पूर्व हस्तान्तरण विलेखों का निबन्धन कराना अनिवार्य होगा। अतः हाई-टेक टाउपनशिप के लिये निर्धारित एम.ओ.यू. तथा पुनरीक्षित एम.ओ.यू. में भी तदनुसार संशोधन किया जाएगा।
- (19) हाई-टेक टाउनशिप नीति-2007 के प्रस्तर-(39) में निम्न संशोधन किया जाता है :—  
‘हाई-टेक टाउनशिप हेतु भूमि की व्यवस्था की जो प्रक्रिया हाई-टेक टाउनशिप नीति-2007 में निर्धारित की गयी है, वही व्यवस्था हाई-टेक टाउनशिप नीति-2003 के अन्तर्गत अनुमोदित क्षेत्रफल के लिए भी लागू होगी।’  
इसके अतिरिक्त “एमेन्डमेन्ट-टू-एम.ओ.यू. दिनांक .....” के प्रस्तर-1 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान जोड़ा जाएगा :—  
“शासकीय अभिकरण तथा विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम के मध्य निष्पादित मूल एम.ओ.यू. के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा जो कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, को बिना किसी आपत्ति के जारी रखा जाएगा, जिसके अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 के अधीन जारी अधिसूचना जो कठिपय प्रकरणों में मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय हेतु विचाराधीन है, भी शामिल होगी। यदि मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना निरस्त की जाती है, तो केवल उसी दशा में नयी अधिसूचना जारी की जाएगी।”
- (20) हाई-टेक टाउनशिप नीति-2003 के अधीन चयनित विकासकर्ता कम्पनियों के प्रकरणों में ‘एमेन्डमेन्ट-टू एम.ओ.यू. दिनांक .....’ के अनुसार चूंकि भूमि व्यवस्था की प्रक्रिया हाई-टेक टाउनशिप नीति-2007 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ही लागू होगी, अतः हाई-टेक टाउनशिप नीति-2007 के प्रस्तर-26 में भूमि क्रय और डिटेल्ड ले-आउट प्लान के अनुमोदन हेतु न्यूनतम भूमि, (300 एकड़) की उपलब्धता के सम्बन्ध में किया गया प्राविधान एमेन्डमेन्ट टु एम.ओ.यू. दिनांक ..... के प्रस्तर (IV) के रूप में

जोड़ा जाएगा, ताकि समस्त विकासकर्ता कम्पनियों/ कन्सॉर्शियम के लिए भूमि क्य/अधिग्रहण तथा ले—आउट प्लान के अनुमोदन की प्रक्रिया एक समान रहे।

- (21) हाई—टेक टाउनशिप के सम्बन्ध में समस्त विविध, 'स्टेट्यूटरी' एवं नियमानुसार आवश्यक अन्य अनापत्ति प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी से विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम द्वारा स्वयं प्राप्त किये जाएंगे। तत्काम में हाई—टेक टाउनशिप के लिये निर्धारित एम.ओ.यू. "एमेन्डमेन्ट—टू एम.ओ.यू. दिनांक ..... तथा पुनरीक्षित एम.ओ.यू. के अन्तर्गत उपरोक्त प्राविधान किया जायेगा।
- (22) हाई—टेक टाउनशिप नीति के अनुसार जो प्राविधान कन्सॉर्शियम एम.ओ.यू. के लिए अनिवार्य रखे गये हैं, वह सम्बन्धित कन्सॉर्शियम द्वारा स्थापित की जाने वाली एस.पी.वी. पर भी लागू होंगे।
- (23) विकसित टाउनशिप/योजना का समुचित रूप से एवं सतत आधार पर रख—रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता तथा सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के मध्य 'ज्वाइन्ट वेन्चर' हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। आवंटियों से वसूल की जाने वाली एकमुश्त अनुरक्षण की धनराशि तथा वार्षिक यूजर चार्जर्ज 'एस्को एकाउन्ट' में जमा किए जाएंगे। टाउनशिप की सेवाओं के रख—रखाव से सम्बन्धित कार्य विकासकर्ता द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे तथा 'ज्वाइन्ट वेन्चर' द्वारा उक्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि रख—रखाव हेतु एकत्रित धनराशि अनुमन्य कार्यों पर ही व्यय की जाए। यह प्राविधान 'डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट' में भी सम्मिलित किए जाएंगे।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाई—टेक टाउनशिप नीति के सुसंगत प्राविधानों को तदसीमा तक संशोधित समझा जाए और इसके क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त निर्देशों/निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

हरमिन्दर राज सिंह  
प्रमुख सचिव,

### संख्या एवं दिनांक : तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मंत्रि—मण्डीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. महानिरीक्षक, निबन्धन एवं पंजीयन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
13. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
14. प्रबन्ध निदेशक, सहकारी आवास संघ, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त अनुभाग—आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एच.पी. सिंह  
अनु सचिव।